

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प. 10(9)नविवि/3/2011

जयपुर, दिनांक 30 JUN 2021

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य नियम, 1962 के नियम-4) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नाटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.10(9)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 27.05.2016 व समसंख्यक दिनांक 19.04.2018 द्वारा यथा अधिसूचित हनुमानगढ़ के नगरीय क्षेत्र के लिये तैयार किये गये मास्टर प्लान-2035 का अनुमोदन कर दिया गया है।

हनुमानगढ़ मास्टर प्लान-2035 की प्रति का निरीक्षण नगर परिषद्, हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

— ३६ —

(त्रिमुवनपति)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. अति. मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम/पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
8. आयुक्त, नगर परिषद् हनुमानगढ़।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 11/7/2021 में प्रकाशन हेतु ऑन-लाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

32

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय